

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 अगस्त 2017—श्रावण 14, शक 1939

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल  
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. एफ 1-93-2017-बी-तिहत्तर.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उद्योग संचालनालय विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त नियमों में, शब्द “वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग” जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग” स्थापित किये जाएं.

No. F-1-93-2017-B-Seventy three.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Directorate of Industries Department Work-charged and Contingency-paid Employees Recruitment and Conditions of Service Rules, 1976, namely:—

## AMENDMENT

In the said rules, for the words “Commerce, Industries & Employment Department”, wherever they occur, the words “Micro, Small & Medium Enterprises Department” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पर्वत सिंह, उपसचिव.